<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>फौज.प्रकरण क्र. 63 / 2014</u> संस्थित दि.: 27 / 01 / 2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — — अभियोजन

/ <u>वि</u>रुद्ध / /

- नरेन्द्र पिता किशोरीलाल, उम्र 25 साल, जाति कलार, निवासी चारटोला थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 2. धनेन्द्र पिता किशोरीलाल, उम्र 18 साल, जाति कलार, निवासी चारटोला थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- मदनलाल पिता मुन्नूलाल, उम्र 42 साल, जाति कलार,
 निवासी चारटोला थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

—:: निर्णय ::-(आज दिनांक 18/02/2015 को घोषित किया गया)

भारतीय (01)आरोपी नरेन्द्र दण्ड संहिता पर धारा 294, 323 / 34(काउन्टस–2), 506(भाग–2), 452, 427, 354 एवं आरोपी धनेन्द्र व मदनलाल पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323 / 34(काउन्टस-2), 506(भाग-2), 452, 427 के तहत आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 07.01.2014 को समय 07:30 बजे ग्राम चारटोला प्रार्थिया का मकान थाना बैहर के अन्तर्गत फरियादिया सुर्मिला एवं इन्द्राबाई को क्षोभ कारित करने के आशय से मॉ-बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उन्हें व अन्य सुननेवालों को क्षोभ कारित किया एवं सुर्मिला व इन्द्राबाई को डण्डे से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादिया सुर्मिला एवं इन्द्राबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं सुर्मिला व इन्द्राबाई के रहवासी मकान में फरियादिया को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया तथा फरियादिया सुर्मिला एवं इन्द्राबाई के घर के दरवाजे को लात से तोड़कर रिष्टि कारित की एवं आरोपी नरेन्द्र ने फरियादिया सुर्मिला की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से छेड़छाड़ कर उसके कपड़े फाड़कर हमला किया/आपराधिक बल का प्रयोग किया।

- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया सुर्मिला ने (02)दिनांक 08.01.2014 को आरक्षी केन्द्र बैहर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 07.01.2014 को रात्रि के 07:00 बजे वह उसकी मॉ इन्द्राबाई के साथ घर पर थी तभी गांव के नरेन्द्र, धनेन्द्र एवं मदनलाल उनके घर हाथ में डण्डे लिए आये और मॉ बहन की गन्दी-गन्दी गालियॉ दी और बोले कि फागूलाल कहा है आज हम उसको जान से खत्म कर देंगे जब उसकी माँ इन्द्राबाई ने बोला कि क्या बात हो गई है फागूलाल अभी घर पर नहीं है तो नरेन्द्र, धनेन्द्र एवं मदनलाल ने डण्डे से उसकी माँ के साथ मारपीट की जिससे उसकी माँ के हाथ व पैर में चोटे आई। आरोपीगण ने उनके घर के सामने का दरवाजा भी लात मारकर तोड़ दिया और चले गये उसकी माँ सरपंच को बुलाने गई तो नरेन्द्र फिर से उनके घर आया और उसकी बेज्जती करने की नियत से छेड़छाड़ करने लगा जिससे उसके कपड़े फट गये वह चिल्लाई तो आरोपी नरेन्द्र उसके घर से भाग गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कमांक 13 / 2014 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506, 354, 452, 427, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 506, 354, 452, 427, 34 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया <equation-block>
- आरोपी नरेन्द्र को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, (03)323 / 34(काउन्टस–2), 506(भाग–2), 452, 427, 354 एवं आरोपी धनेन्द्र व मदनलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323 / 34(काउन्टस–2), 506(भाग–2), 452, 427 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

- (04) आरोपीगण तथा फरियादिया के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आरोपी नरेन्द्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323/34(काउन्टस-2), 506(भाग-2), 427 एवं आरोपी धनेन्द्र व मदनलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323/34(काउन्टस-2), 506(भाग-2), 427 के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा आरोपी नरेन्द्र पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 354 एवं आरोपी धनेन्द्र व मदनलाल पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 के आरोप में विचारण किया जा रहा है।
- (05) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष है, उनके विरूद्ध फरियादिया सुर्मिला एवं उसकी माँ इन्द्राबाई ने रंजिश वश पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण तैयार कराकर उन्हें झूठा फंसाया है और असत्य कथन किए है।
- (06) आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :--
 - (अ) क्या आरोपी नरेन्द्र ने दिनांक 07.01.2014 को समय 07:30 बजे ग्राम चारटोला प्रार्थिया का मकान थाना बैहर के अन्तर्गत फरियादिया सुर्मिला की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से छेड़छाड़ कर उसके कपड़े फाड़कर हमला किया/आपराधिक बल का प्रयोग किया?
 - (ब) क्या आरोपीगण ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया सुर्मिला एवं इन्द्राबाई के रहवासी मकान में फरियादिया को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

िः:<u>सकारण निष्कर्ष</u>::–

विचारणीय बिन्दु कमांक 'अ', एवं 'ब' :-

(07) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्द् क्रमांक 'अ', एवं

'ब' का एक साथ विचार किया जा रहा है

- अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता राजकुमार सिंह ठाकुर (अ.सा. 3) का कहना है कि उसने दिनांक 08.01.2014 को फरियादिया सुर्मिला की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 13/14 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506, 452, 354, ख 427, 34 भा. दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्रदर्श पी—01 है। दिनांक 09.01.2014 को फरियादिया सुर्मिला की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। फरियादिया सुर्मिला एवं आहत इन्द्राबाई तथा गवाह सुखवतीबाई, अमलसिंह, मिलापसिंह, शंकरलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 09.01.2014 को इन्द्राबाई के सामने एवं साक्षियों की उपस्थिति में फरियादिया के घर के टूटे दरवाजे का नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। दिनांक 21.01.2014 को आरोपी मदनलाल की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डे की तलाशी की गई थी जिसमें डण्डा नहीं मिल पाया था जिस बाबद् तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-05 से लगायत प्रदर्श पी-07 तैयार किया था।
- अभियोजन साक्षी / फरियादिया सुर्मिला (अ.सा. 1) का कहना है (09)घटना जनवरी 2014 की ग्राम चारटोला उसके घर की है। आरोपीगण कि उसके घर आये और उसके पिताजी और भाई के बारे में पूछने लगे तो उसकी मॉ ने कहा कि किसलिए पूछ रहे हो तो आरोपीगण ने उसकी माँ इन्द्राबाई के साथ गाली-गलीच एवं डण्डे से मारपीट करने लगे, मारपीट करने के बाद आरोपीगण चले गये। उसकी मॉ सरपंच को बुलाने गई तो वह घर पर अकेली थी उसी बीच आरोपी नरेन्द्र आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा जब वह चिल्लाई तो आरोपी नरेन्द्र भाग गया। उसने पुलिस थाना बैहर में जाकर घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी नरेन्द्र ने उसकी बेज्जती करने की नियत से उसके कपड़े फाड़ दिये। साक्षी ने इस बात से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने आरोपी नरेन्द्र द्वारा उसकी लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से छेड़छाड़ कर उसके कपड़े फाड़कर हमला किया/आपराधिक

बल का प्रयोग किया ऐसा कथन पुलिस को दिया था।

- (10) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी इन्द्राबाई (अ.सा. 2) का कहना है कि ह । टाना जनवरी 2014 की ग्राम चारटोला उसके घर की है। आरोपीगण से उनका विवाद हो गया था। आरोपीगण ने उसे गन्दी—गन्दी गालिया दी थी और डण्डे से मारपीट की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को उसे गन्दी—गन्दी गालिया दी एवं डण्डे से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसकी लड़की ने उसे बताया था कि आरोपी नरेन्द्र ने घर में घुसकर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से हमला कर अपराधिक बल का प्रयोग कर उसके कपड़े फाड़ दिए थे।
- (11) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष है फरियादिया ने रंजिश वश पुलिस से मिलकर झूठी रिपोर्ट की है और असत्य कथन किए है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवचेनाकर्ता के कथनों में तथा फरियादिया सुर्मिला व आहत इन्द्राबाई के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।
- (12) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।
- (13) अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता राजकुमार सिंह ठाकुर (अ.सा. 3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसने दिनांक 08.01.2014 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए फरियादिया सुर्मिला की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 13 / 14 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506, 452, 354, इ. 427, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्रदर्श पी—01 है। उसके द्वारा फरियादिया और आहत इन्द्राबाई को मुलाहिजा हेतु शासकीय अस्पताल बैहर भेजा गया था। उसने दिनांक 09.01.2014 को फरियादिया सुर्मिला की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—02 तैयार किया था। फरियादिया सुर्मिला एवं आहत इन्द्राबाई तथा गवाह सुखवतीबाई, अमलसिंह, मिलापसिंह, शंकरलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 09.01.2014 को इन्द्राबाई के सामने एवं साक्षियों की उपस्थिति में फरियादिया के घर के टूटे दरवाजे का नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी—03 तैयार किया था। दिनांक 21.01.2014 को आरोपी मदनलाल की

निशादेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डे की तलाशी की गई थी जिसमें डण्डा नहीं मिल पाया था जिस बाबद् तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-05 से लगायत प्रदर्श पी-07 तैयार किया था।

- किन्तु अभियोजन साक्षी / फरियादिया सुर्मिला (अ.सा. 1) ने अपने (14) मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि घटना जनवरी 2014 की ग्राम चारटोला उसके घर की है। आरोपीगण उसके घर आये और उसके पिताजी और भाई के बारे में पूछने लगे तो उसकी माँ ने कहा कि किसलिए पूछ रहे हो तो आरोपीगण ने उसकी माँ इन्द्राबाई के साथ गाली-गलीच एवं डण्डे से मारपीट करने लगे, मारपीट करने के बाद आरोपीगण चले गये। उसकी माँ सरपंच को बुलाने गई तो वह घर पर अकेली थी उसी बीच आरोपी नरेन्द्र आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा जब वह चिल्लाई तो आरोपी नरेन्द्र भाग गया। उसने पुलिस थाना बैहर में जाकर घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी नरेन्द्र ने उसकी बेज्जती करने की नियत से उसके कपड़े फाड़ दिए थे। साक्षी ने इस बात से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिए थे और उसने आरोपी नरेन्द्र द्वारा उसकी लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से छेड़छाड़ कर उसके कपड़े फाड़कर हमला किया/आपराधिक बल का प्रयोग किया ऐसा कथन पुलिस को दिया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस ने उसे रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनायी थी और न ही उसने रिपोर्ट पढ़कर देखी थी। उसने प्रदर्श पी-01 एवं प्रदर्श पी-02 पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी ने यह भी बताया है कि उनके तथा आरोपीगण के मध्य झूमाझपटी हुई थी जिससे चोट आई थी और उसके कपड़े फट गये थे। आरोपी नरेन्द्र ने उसकी लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से छेड़छाड़ कर उसके कपड़े फाड़कर हमला/आपराधिक बल का प्रयोग नहीं किया।
- इसी प्रकार अभियोजन साक्षी इन्द्राबाई (अ.सा. 2) का कहना है कि ध (15)ाटना जनवरी 2014 की ग्राम चारटोला उसके घर की है। आरोपीगण से उनका विवाद

हो गया था। आरोपीगण ने उसे गन्दी—गन्दी गालिया दी और डण्डे से मारपीट की। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को उसे गन्दी—गन्दी गालिया दी एवं डण्डे से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसकी लड़की ने उसे बताया था कि आरोपी नरेन्द्र ने घर में घुसकर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से हमला कर अपराधिक बल का प्रयोग कर उसके कपड़े फाड़ दिए थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने उसके पुलिस कथन पढ़कर नहीं देखे थे ओर न ही पुलिस वालों ने पढ़कर सुनाये थे। साक्षी ने यह भी बताया है कि उनके तथा आरोपीगण मध्य झूमाझपटी हो गई थी तथा उसके समक्ष कोई नुकसानी पंचनामा तैयार नहीं किया गया था। उसने नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी—03 पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

- (16) अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता राजकुमार ठाकुर (अ.सा. 3) के कथनों एवं फरियादिया सुर्मिला (अ.सा. 1) तथा साक्षी / आहत इन्द्राबाई (अ.सा. 2) के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी सुर्मिला (अ.सा. 1) एवं इन्द्राबाई (अ.सा. 2) को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी नरेन्द्र ने दिनांक 07.01.2014 को समय 07:30 बजे ग्राम चारटोला प्रार्थिया का मकान थाना बैहर के अन्तर्गत फरियादिया सुर्मिला की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से छेड़छाड़ कर उसके कपड़े फाड़कर हमला किया / आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं आरोपी नरेन्द्र, धनेन्द्र एवं मदनलाल ने फरियादिया सुर्मिला एवं इन्द्राबाई के रहवासी मकान में फरियादिया को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।
- (17) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्ति—युक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपी नरेन्द्र ने दिनांक 07.01.2014 को समय 07:30 बजे ग्राम चारटोला प्रार्थिया का मकान थाना बैहर के अन्तर्गत फरियादिया सुर्मिला की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से छेड़छाड़ कर उसके कपड़े

फाड़कर हमला किया / आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं आरोपी नरेन्द्र, धनेन्द्र एवं मदनलाल ने फरियादिया सुर्मिला एवं इन्द्राबाई के रहवासी मकान में फरियादिया को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

- परिणाम स्वरूप आरोपी नरेन्द्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, (18) 354 एवं आरोपी धनेन्द्र व मदनलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।
- प्रकरण में आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है, उनके पक्ष में निष्पादित पूर्व (19)के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते है। निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित खुले न्यायालय में घोषित किया गया। किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, .बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ALIMANA PROPERTY AND ALIMANA P बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)